



# झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची

Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138

New Web : [www.jspcb.org.in](http://www.jspcb.org.in); e-mail- [ranchijspcb@gmail.com](mailto:ranchijspcb@gmail.com)

पत्रांक- 09

राँची दिनांक- 25/09/2026

## अधिसूचना

पर्षद मंडल की 50वीं बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन प्रदान किये जाने के संबंध में सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी थी। इसके पश्चात् पर्षद मंडल की 51वीं बैठक दिनांक- 21.02.2024 की कार्यवाही संख्या-03, के सापेक्ष कार्यालय आदेश संख्या-B-22 दिनांक 11.03.2024 द्वारा पर्षद में पेंशन व्यवस्था के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया :-

- वैसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 16.06.2023 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुये हैं, कर्मियों को ही पेंशन दिया जायेगा। पेंशन, झारखण्ड सरकार द्वारा पेंशन व्यवस्था एवं समय-समय पर संशोधनों के अनुरूप होगी।
- समिति की अनुशंसा के आलोक में एल0आई0सी0 में पेंशन फंड के खाते में 25 करोड़ रुपये निवेश किया जायेगा।
- कर्मियों द्वारा विहित प्रपत्र में पेंशन प्राप्त करने की स्वीकृति समर्पित करना आवश्यक होगा। कर्मियों से स्वीकृति प्राप्त होने पर कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय को उनके तथा नियोक्ता के अंशदान को पर्षद द्वारा बन्द कर दिया जायेगा। कर्मियों से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने पर उन्हें पेंशन का लाभ देय नहीं होगा।
- वर्तमान में कार्यरत कर्मियों तथा लाभान्वित सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा ई0पी0एफ0ओ0 में पर्षद द्वारा उनके मद में किये गये निवेश की राशि ब्याज सहित लौटाने के पश्चात् ही पेंशन भुगतान होगा।
- पेंशनधारियों से प्राप्त राशि को पेंशन फंड में जमा कर दिया जायेगा।

उक्त के क्रम में पर्षद मंडल की 52वीं बैठक दिनांक-28.01.2025 के कार्यवाही संख्या-05 के सापेक्ष अधिसूचना संख्या-04 दिनांक 24.06.2025 में निम्न निर्णय लिया गया :-

- पर्षद की नियमित सेवा से सभी सेवानिवृत्त कर्मियों/सेवानिवृत्त मृत कर्मियों के आश्रितों को राज्य सरकार के पेंशन नियामावली एवं समय-समय पर संशोधनों के अनुरूप पेंशन भुगतान किया जाय।
- LIC of India में पूर्व से संचालित Policy में जमा रुपये 25 करोड़ में अतिरिक्त रुपये 50 करोड़ (पचास करोड़ रुपये) जमा किया जायेगा।
- सभी सेवानिवृत्त कर्मियों एवं मृत कर्मियों के पत्नियों को EPFO में पर्षद द्वारा उनके खाते में जमा किये गये अंशदान की राशि ब्याज रहित पर्षद को लौटाने के पश्चात् ही पेंशन भुगतान होगा। पर्षद के वैसे कर्मियों जिनसे EPFO में पर्षद द्वारा उनके मद में किये गये निवेश की राशि ब्याज सहित प्राप्त हो को ब्याज की राशि लौटायी जायेगी। सेवानिवृत्त कर्मियों एवं मृत कर्मियों के पत्नियों से प्राप्त राशि को पेंशन फंड में जमा नहीं कर पर्षद खाते में ही रखा जायेगा।



- पेंशन आरंभ होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष 01 (एक) वर्ष के अंदर जीवन प्रमाण-पत्र (Life Certificate) पर्सद मुख्यालय अथवा पर्सद के किसी क्षेत्रीय कार्यालय अथवा बैंक में पेंशनर को स्वयं उपस्थित होकर जमा करना होगा या Digital/online के माध्यम से जमा किया जा सकेगा।
- कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के कर्मियों तथा नियोक्ता के अंशदान को पर्सद द्वारा बन्द नहीं किया जायेगा।
- कर्मियों द्वारा विहित प्रपत्र में पेंशन प्राप्त करने की स्वीकृति समर्पित करना आवश्यक होगा। कर्मियों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने पर उन्हें पेंशन का लाभ देय नहीं होगा।

उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि संबंधित कर्मचारियों के EPFO खातों में पर्सद द्वारा नियोक्ता अंशदान के रूप में राशि जमा की गयी थी। चूँकि पर्सद द्वारा पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान किये जाने की पृथक व्यवस्था स्वीकृत की गयी है, अतः EPFO में पर्सद द्वारा जमा किये गये अंशदान की राशि ब्याज सहित पर्सद को वापस प्राप्त किया जाना पर्सद मंडल के निर्णयों एवं स्वीकृत पेंशन व्यवस्था के अनुरूप है।

इस संबंध में EPFO द्वारा पर्सद के अंशदान की मूल राशि के साथ उस पर ब्याज भी दिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिसूचना में प्रयुक्त “ब्याज रहित ” का आशय पर्सद द्वारा EPFO में जमा किये गये अंशदान की मूल राशि तथा उक्त राशि पर EPFO द्वारा दी गई ब्याज की राशि से प्राप्त होता है, तो सेवानिवृत्ति की तिथि तक वह ब्याज भी पर्सद को वापस किया जाना है।

उक्त के आलोक में अधिसूचना सं०-04 राँची, दिनांक-24.06.2026 द्वारा विलोपित कार्यालय आदेश संख्या-B-22 दिनांक 11.03.2024 को पुनः बहाल करते हुए पर्सद मंडल के अनुमोदन की प्रत्याशा में आंशिक संशोधन करते हुये यह स्पष्ट किया जाता है कि EPFO में पर्सद द्वारा सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों के मद में पर्सद के अंशदान के फलस्वरूप प्राप्त ब्याज राशि उनके सेवानिवृत्ति तिथि तक, को पर्सद में जमा किया जाना सुनिश्चित की जाय। पत्र निर्गत के माह से शेष राशि (अंशदान पर ब्याज की राशि) को मासिक पेंशन से अधिकतम पच्चास प्रतिशत (50%) तक की कटौती की जायेगी। पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा एक मुश्त राशि भुगतान करने पर मासिक पेंशन से कटौती नहीं की जायेगी।

ह०/-  
(राजीव लोचन बक्शी)  
सदस्य सचिव

ज्ञापांक:- 3455

राँची, दिनांक:- 25/09/2026

प्रतिलिपि:- स्थापना शाखा/लेखा शाखा/सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sei Amit, Asst  
Ashish  
25/9/26

Rep: /  
(राजीव लोचन बक्शी)  
सदस्य सचिव